"ओडिशा में पेसा का कार्यान्वयन"

अशोक के. मीणा, आईएएस

प्रमुख सचिव

पीआर और डीडब्ल्यू विभाग, ओडिशा सरकार

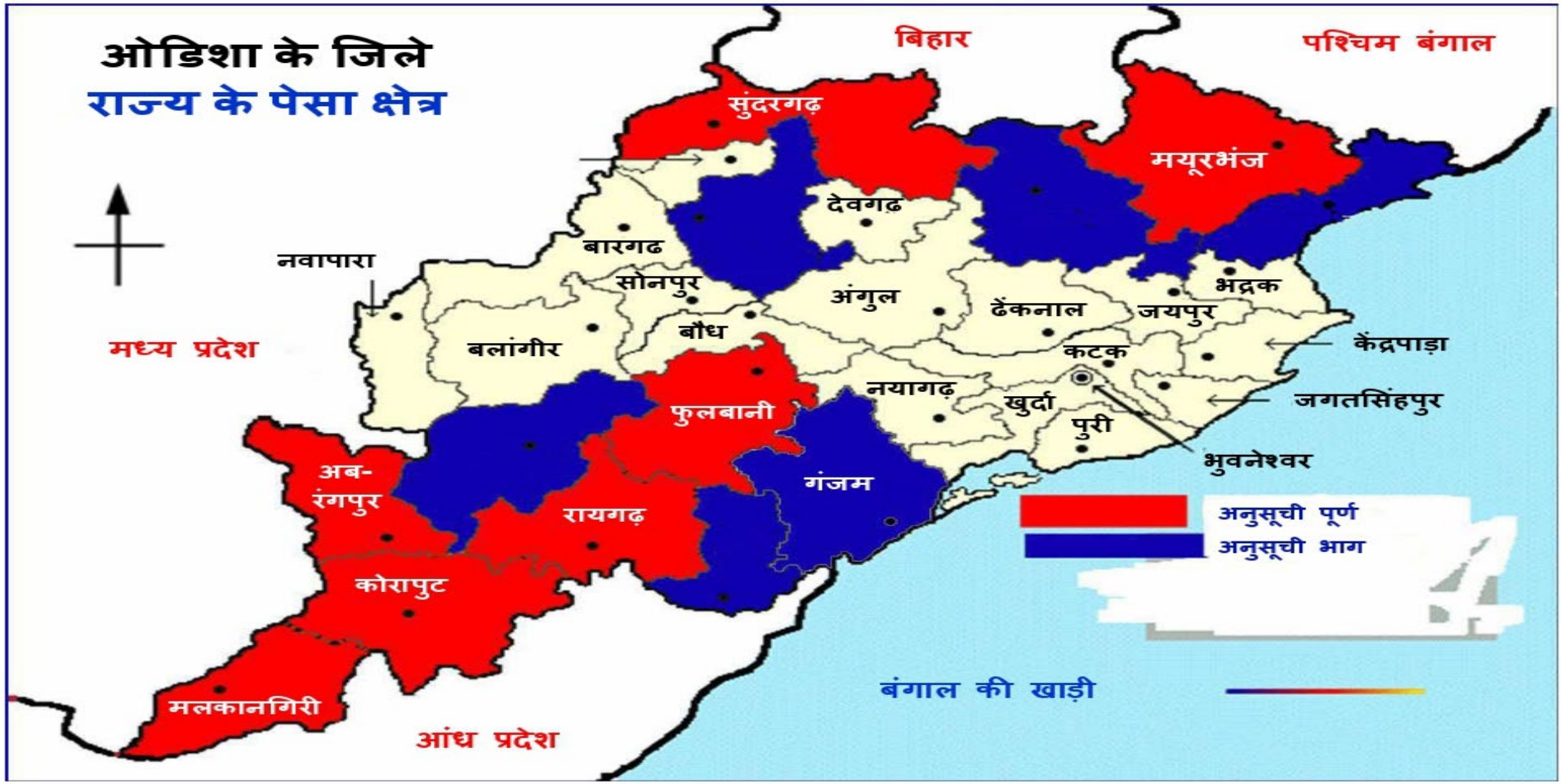

कुल जनसंख्या: 4.20 करोड़ (जनगणना-2011 के अनुसार)

पंचायती राज संस्थान	कुल	अनुसूचित क्षेत्र
जिला परिषद की संख्या	30	13 (7 पूर्ण + 6 आंशिक रूप से)
पीएस की संख्या	314	122
ग्राम परिषद की संख्या	6794	2069

ओडिशा में अनुसूचित क्षेत्र (2011 की जनगणना)

➢ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र:	69,613.80 वर्ग किलोमीटर
(राज्य की तुलना में प्रतिशत):	(44.71%)
➢ राज्य में कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या:	95,90,756
➢ अनुसूची में कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या क्षेत्र:	64,77,069
➢ राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी से अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत:	67.53%

ओडिशा पंचायती राज अधिनियमों और विषय कानूनों में संशोधन:

निम्नलिखित पंचायती राज विधानों और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू अन्य संबंधित कानूनों और नियमों में संशोधन वर्ष 1997 में केंद्रीय पेसा अधिनियम, 1996 (धारा 5) के अनुरूप किया गया था।

22 दिसंबर, 1997 को किए गए संशोधन:

1. उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964
2. उड़ीसा पंचायत समिति अधिनियम, 1959
3. उड़ीसा जिला परिषद अधिनियम, 1961

अधिनियमों और नियमों में संशोधन

1. पंचायती राज विभाग संकल्प सं.8131 दिनांक 26.05.2000 और **वन एवं पर्यावरण विभाग।** संकल्प संख्या 5503 दिनांक 31.03.2000 में ग्राम सभाओं को आवश्यक शक्तियां प्रदान की गई हैं।
2. राजस्व एवं आबकारी विभाग दिनांक 22.04.1999 के अंतर्गत **बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915** में संशोधन किया गया।
3. उड़ीसा (अनुसूचित क्षेत्र) **साहूकार संशोधन विनियम, 2000,** दिनांक 30 अगस्त, 2001 से
4. **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम**, 1957 (1957 का 67) में 31-8-2004 को संशोधन किया गया है।
5. **उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पत्तियों का हस्तांतरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियम**, 1956 को 2002 के विनियम 1 द्वारा संशोधित किया गया है जो 4-9-2002 से लागू हो गया है।
6. ओजीपी (**लघु वन उपज प्रशासन नियम**, 2002)
7. पंचायती राज विभाग में उड़ीसा सरकार ने सरकार ने दिनांक 4-7-2003 के पत्र सं 6886 द्वारा परिपत्र जारी किया है जिसमें **पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां हस्तांतारित की गई हैं और निश्चित कार्य सौंपे गए हैं तथा कार्यान्वयन** और कार्यों के निष्पादन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पदाधिकारी प्रदान किए गए हैं। (11 विभाग और 29 विषय)

पीईएसए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई रणनीतियां

- 1997 से हर 5 वर्ष में पंचायत चुनाव हो रहे हैं।
- अगला पंचायत चुनाव फरवरी/मार्च, 2022 में होना है।
- अधिनियम के अनुसार पेसा क्षेत्रों में सीटें आरक्षित हैं।
    - 7 जिलों में जिला पंचायत
    - 122 ब्लॉकों में पीएस अध्यक्ष
    - 2099 ग्राम पंचायतों में सरपंच
- पंचायती राज संस्थान सदस्यों, जनजातीय युवाओं, सरकारी अधिकारियों और एनजीओ/सीएसओ कर्मियों के लिए पेसा अधिनियम पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- व्यापक प्रसार के लिए ओडिया और 10 जनजातीय भाषाओं में पेसा अधिनियम का अनुवाद।
- पेसा नियमावली तैयार करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

पेसा के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- केन्द्रीय पेसा में गांव के गठन के लिए कोई जनसंख्या मानदंड नहीं है।
- ओडिशा में राजस्व अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों का सीमांकन किया जाता है।
- पेसा क्षेत्रों में हितधारकों के परामर्श से छोटे गांवों के गठन के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं।
- राज्य सरकार के विचाराधीन ओडिशा पेसा नियम पेसा के सुचारू कार्यान्वयन को और सुविधाजनक बनाएंगे।

भावी राह:

- पेसा अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित 'गांवों' की पहचान और सीमांकन की सुविधा प्रदान करना।
- पेसा नियमों को विचार के बाद अधिसूचित किया जाएगा।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल और स्ट्रीट लाइटिंग के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान दें। हाल ही में, सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आंगनवाड़ी परिसंपत्तियों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया है।
- ग्राम सभा के लिए प्रशासनिक सहायता के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास और उपयोग करके क्षमता निर्माण।
- पेसा मामलों पर 2022 में चुने जाने वाले पंचायती राज संस्थान सदस्यों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम - योजना अभी शुरू होनी चाहिए।

कोरापुट में ग्राम सभा